उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-255/2015/290जीआई/नौ-5-15-179सा/2015
लखनऊ : 22 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **'स्मार्ट सिटीज मिशन'** योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत देश के 100 शहरों को चयनित किया जाना है, जिनमें से 13 शहर उत्तर प्रदेश के होंगे। अत: योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक **'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति'** (स्टेट लेवल हाई पावर्ड स्टेयरिंग कमेटी-एचपीएससी) का निम्नानुसार गठन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
11	राज्य में गठित होने वाले 'स्पेशल पर्पज व्हेकिलस' (एसपीवी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
12	चयनित शहरों के महापौर/अध्यक्ष	सदस्य
13	चयनित शहरों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	सदस्य
14	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
15	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ	सदस्य सचिव

उक्त समिति के मुख्य दायित्व निम्नवत होंगे-

(1) स्मार्ट सिटीज के विकास हेतु मिशन को मार्गदर्शन देना एवं इस संबंध में विचारों के आदान-प्रदान हेतु राज्य स्तरीय मंच उपलब्ध कराया जाना।

(2) मिशन द्वारा निर्धारित प्रथम चरण के मापदण्ड के अनुसार अंतर-राज्य प्रतियोगिता की प्रथम चरण की प्रक्रिया का अनुश्रवण करना।

(3) स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावों की समीक्षा कर भारत सरकार को भेजा जाना।

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या-255/290जीआई(1)/नौ-5-15-179सा/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/परिवहन एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(5) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकित प्रतिनिधि।
(6) निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) राज्य में गठित होने वो 'स्पेशल पर्पज व्हेकिलस' (एसपीवी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(9) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(11) संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(12) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(13) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।